रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड—(ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 372] नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 14, 1970/आश्विन 22, 1892

No. 372] NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 14, 1970/ASVINA 22, 1892

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th October 1970

S.O. 3394.—The following Order made by the President is published for general information:—

ORDER

Whereas I, V. V. Giri, President of India had on 16th October, 1969 made an Order, suspending for a period of one year the operation of certain provisions of the Government of Union Territories Act, 1963 (20 of 1963) (hereinafter referred to as "the Act") in relation to the Union territory of Manipur, and making certain incidental and consequential provisions which appeared to me to be necessary and expedient for administering the Union territory of Manipur in accordance with the provisions of article 239 of the Constitution during the aforesaid period;

And whereas I have received a report from the Administrator of the Union territory of Manipur and after considering the report and other information received by me, I am satisfied that the situation in the Union territory continues to be such that the administration of that territory cannot be carried on in accordance with the provisions of the Act and that for the proper administration of the Union territory it is necessary that the operation of the provisions of the Act suspended by me under the said Order should continue to remain suspended.

and the incidental and consequential provisions made therein should continue to operate beyond the period of one year mentioned in the said Order;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 51 of the Act and all other powers enabling me in that behalf, I hereby direct—

(a) that the operation of the provisions of the Act suspended by virtue of clause (a) of my aforesaid Order shall continue to remain suspended and the incidental and consequential provisions made by virtue of clause (b) of the aforesaid Order shall continue to be operative, for a further period of six months with effect from the 16th day of October, 1970; and

(b) that for the words "one year" occurring in clause (a) of the aforesaid Order, the words "one year and six months" shall be substituted.

V. V. GIRI,
President.

NEW DELHI-4;
The 13th October, 1970.

[No. F. 10/33/70-SR.]
K. R. PRABHU, Jt. Secy.

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 अक्तूबर, 1970

एस० ओ० 3394—राष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जा रहा है :

आदेश

यतः मैंने, व० वे० गिरि, भारत के राष्ट्रपति ने, 16 अक्तूबर, 1969 को संघ राज्य-क्षेत्र शासन अधिनियम 1963 (1963 का 20) (जिसे इसमें इसके पश्चात् "अधिनियम" कहा गया है) के कतिपय उपबन्धों का प्रवर्तन मणिपुर संघ राज्य-क्षेत्र के संबंध में एक वर्ष की कालावधि के लिए निलम्बित करते हुए और कतिपय आनुषंगिक और पारिणामिक उपबंध बनाते हुए जो मुझे उपर्युक्त कालावधि में मणिपुर संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन संविधान के अनुच्छेद 239 के उपबन्धों के अनुसार चलाने के लिए आवश्यक और समीचीन लगे थे, एक आदेश किया था ;

और यतः मुझे मणिपुर संघ राज्य-क्षेत्र के प्रशासक से एक रिपोर्ट प्राप्त हुई है और उस रिपोर्ट तथा मुझे प्राप्त अन्य जानकारी पर विचार करने के पश्चात् मेरा यह समाधान हो गया है कि संघ राज्य-क्षेत्र में स्थिति अभी भी ऐसी बनी हुई है कि राज्य क्षेत्र का प्रशासन अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता और यह कि संघ राज्य क्षेत्र के उचित प्रशासन के लिए उक्त आदेश के अधीन मेरे द्वारा निलम्बित अधिनियम के उपबन्धों का प्रवर्तन निलम्बित रहना और उस आदेश में बनाए गए आनुषंगिक और पारिणामिक उपबन्धों का उक्त आदेश में वर्णित एक वर्ष की कालावधि के बाद भी प्रवर्तित रहना आवश्यक है ;

अतः अब, अधिनियम की धारा 51 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का और उस निमित्त मुझे समर्थ बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं एतद्द्वारा निदेश देता हूं :—

(क) कि मेरे उपरोक्त आदेश के खण्ड (क) के फलस्वरूप निलम्बित अधिनियम के उपबन्धों का निलम्बन और उपरोक्त आदेश के खण्ड (ख) के फलस्वरूप बनाए

गए आनुषंगिक और पारिणामिक उपबन्ध अक्तूबर 1970 के 16वें दिन से छह मास की और कालावधि के लिए प्रवर्तित रहेंगे ; और

(ख) यह कि उक्त आदेश के खण्ड (क) में "एक वर्ष" शब्दों के स्थान पर "एक वर्ष और छह मास" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।

नई दिल्ली-4;
13 अक्तूबर, 1970 ।

व० वे० गिरि,
राष्ट्रपति ।

[सं० एफ० 10/33/70–एस० आर०]
के० आर० प्रभु, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1970